

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** from **64-Thanagazi** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

KANTI PRASAD

ward no. 24 mandri, thanagazi nagar palika thanagazi alwar rajasthan [sponsored by **Indian National Congress**] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :

Date : 03-12-2023



Manisha
(MANISHA KUMARI MEENA)

Returning Officer

064-Thanagazi

Legislative Assembly Constituency

रिटर्निंग अधिकारी
विधानसभा थानागाजी (064) अलवर

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिये)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा ।

064-थानागाजी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए
निर्वाचन

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री कान्ति प्रसाद वार्ड नम्बर 24 मांदरी थानागाजी नगर पालिका अलवर राजस्थान जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किये गए है ।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है ।

स्थान अलवर

दिनांक 03-12-2023



Mansita
सुश्री मनीषा कुमारी मीना)
रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा क्षेत्र-064 थानागाजी
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट थानागाजी

रिटर्निंग अधिकारी
विधानसभा थानागाजी (064) अलवर